न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी पुष्कर कुमार मित्तल आर.ए.एस.

राजस्व दावा संख्याः— 211/14

1. उदयवीरी पत्नी कप्तानसिंह जाति जाट निवासी ग्राम मई गूजर तहसील भरतपुर।
2. सतेन्द्र | पुत्रगण | नाबालिगान बली सरपरस्त माता उदयवीरी
3. वीरेन्द्र | कप्तानसिंह | पत्नी कप्तानसिंह जाति जाट निवासी ग्राम
4. पूजा | पुत्रिया | मईगूजर तहसील भरतपुर
5. मधु | कप्तानसिंह

.....वादीगण

बनाम

1. बच्चूसिंह पुत्र कमलसिंह जाति जाट निवासी ग्राम मई गूजर तहसील भरतपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील भरतपुर

..... प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53,88—89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

एवम्

राजस्व दावा संख्याः— 214/14

बच्चूसिंह पुत्र कमलसिंह जाति जाट निवासी ग्राम मई गूजर तहसील भरतपुर

.....वादी

बनाम

1. उदयबीरी पत्नी कप्तानसिंह | जाति जाट निवासी ग्राम मई गूजर
2. सत्येन्द्र | नाबालिग पुत्र व | तहसील भरतपुर
3. वीरेन्द्रसिंह | पुत्रिया कप्तानसिंह
4. पूजा | जरिये बली
1. मधु | माता उदयवीरी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील भरतपुर

.....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री पुरूषोत्तम मुदगल,
   अभिभाषक उदयवीरी वगै0 की तरफ से
2. श्री सुभाष चाहर अभिभाषक बच्चूसिंह की तरफ से
3. पायल जैन
   नायब तहसीलदार,
   पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः– 22.01.2018

वादीगण उदयवीरी वगैरहा ने दिनांक 08.10.2014 को एक राजस्व दावा अन्तर्गत धारा 53, 88–89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का विरूद्ध प्रतिवादी बच्चूसिंह के इस आशय के साथ पेश किया कि उभय पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है। जिनका पारिवारिक वंशवृक्ष (सजरा) निम्न प्रकार हैः–

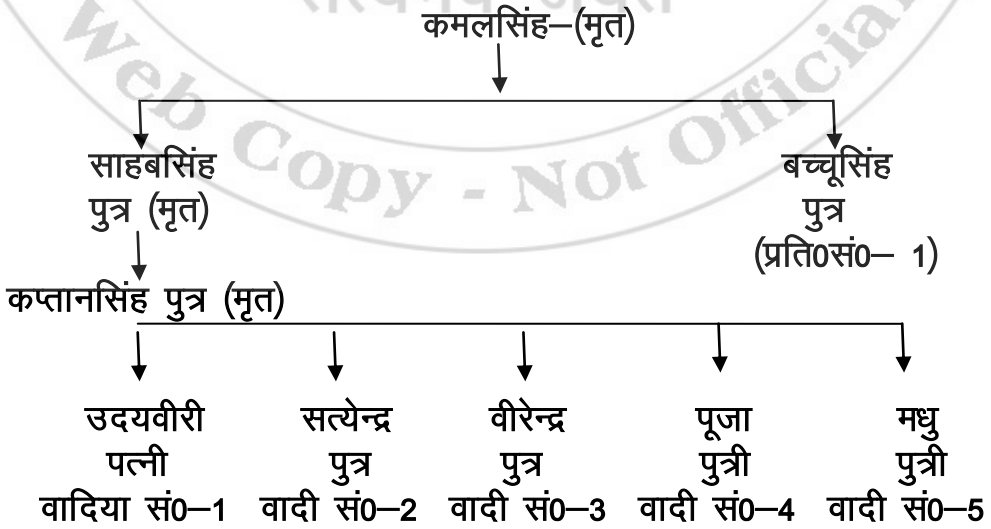

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हाल आ0ख0नं0 165/0.09, 166/0.01, 167/0.19, 168/0.06, 294/524/0.03, 354/0.48, 354/517/0.01, 356/0.57, 424/0.28, 426/0.23, 443/0.39 किता–11 रकवा 2.44 है0 एवम् हाल आ0ख0नं0 353/0.56, 444/0.36, 445/0.37, 446/0.34, 447/0.08, 448/0.25, 449/0.44 किता–7 रकवा 2.40 है0 स्थित ग्राम मई गूजर तहसील भरतपुर पर वादिया व प्रतिवादी सं0–1 व हिस्सा बराबर के खातेदार कृषक दर्ज अभिलेख व काबिज काश्त है। अब संयुक्त काश्त सम्भव नही है। आये दिन काश्त को लेकर झगड़े फसाद होते रहते है। वादिया ने प्रतिवादी सं0–1 के विरूद्ध FIR भी दर्ज कराई हुयी है। दिनांक 18.09.2014 को प्रतिवादी सं0–1 ने मौके पर आकर धमकी दी कि वह वादिया को काश्त नही करना देगा। उसे आराजी से बेदखल करके रहेगा। अतः वादिया द्वारा प्रार्थना की गयी कि वादग्रस्त आराजी में से अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के समभाग के कुरे पर वादिया का पृथक खाता व लगान कायम कर वादिया को खातेदार कृषक घोषित किया जावे। प्रतिवादी सं0–1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादिया के कब्जेकाश्त खातेदारी में हस्तक्षेप न करें।

दावा दर्ज रजिस्टर कर तलवी प्रतिवादीगण जरिये सम्मनों से की गयी। प्रतिवादीगण उपस्थित न्यायालय आये। प्रतिवादी सं0–2 के प्रतिनिधी पैरोकार सरकार द्वारा जवाबदावा पेश न करने पर दिनांक 21.01.2015 को जवाबदावा बन्द किया गया।

प्रतिवादी सं0–1 द्वारा दिनांक 17.11.15 को जवाबदावा पेश किया कि वादिया ने समस्त संयुक्त आराजी का दावा पेश नही किया है। वादिया हाल ख0नं0 294/524/0.03 है0 जो गांव आबादी के पास है को हड़पना चाहती है।

उसने वादग्रस्त आराजी का विभाजन मुताबिक मनबट करने, हाल ख0नं0 294/524/0.03 है0 में व–हि–व विभाजन करने, प्रतिवादी को अपने ख0नं0 354/0.48 है0 में जाने के लिये हाल ख0नं0 356/0.57 मे से 10 फुट चौड़ा रास्ता देने की प्रार्थना की।

वादिया द्वारा अपने दावा के कथनों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में

नकल जमाबन्दी सम्वत् 2068–71, अप्रमाणित फोटोप्रति FIR सं0 235/06.09.2014 को पेश किया। मौखिक साक्ष्य में शपथ–पत्र पर बयान वादिया उदयवीरी PW-1 पेश कर अपनी साक्ष्य समाप्त की।

प्रतिवादी सं0–1 द्वारा अपने जवाबदावा के कथनों के समर्थन में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2068–71 को पेश किया। मौखिक साक्ष्य में शपथ–पत्र पर बयान प्रतिवादी सं0–1 बच्चूसिंह DW 1 पेश कर अपनी साक्ष्य समाप्त की।

बच्चूसिंह द्वारा भी दिनांक 09.10.2014 को एक राजस्व दावा अन्तर्गत धारा 53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विरूद्ध प्रतिवादीगण उदयवीरी वगै0 के इस आशय के साथ पेश किया कि उभय पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है। हाल आ0ख0नं0 353/0.56, 444/0.36, 445/0.37, 446/0.34, 447/0.08, 448/0.25, 449/0.44 किता–7 रकवा 2.40 है0 एवम् हाल आ0ख0नं0 165/0.19, 166/0.01, 167/0.19, 168/0.06, 294/524/0.03, 354/0.48, 354/517/ 0.01, 356/0.57, 424/0.28, 426/0.23, 443/0.39 किता–11 रकवा 2.44 है0 एवम् हाल ख0नं0 494/0.17, 496/0.69 किता 2 रकवा 0.86 है0 स्थित ग्राम मई गूजर पर वादी व प्रतिवादीगण अपने–अपने अभिलिखित हिस्से पर व हैसियत सहखातेदार दर्ज अभिलेख व काबिज काश्त है। अब संयुक्त काश्त सम्भव नही है। दिनांक 06.09.2014 को प्रतिवादीगण ने वादी को स्पष्ट धमकी दी है कि वह वादी को काश्त नही करने देगी।

अतः वादी द्वारा प्रार्थना की गयी कि वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन मीट्स एन्ड वाउन्डस के आधार पर कर वादी का पृथक खाता व लगान संधारित किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादी के कब्जेकाश्त खातेदारी में हस्तक्षेप न करें।

दावा दर्ज रजिस्टर कर तलवी प्रतिवादीगण जरिये सम्मनों से की गयी। प्रतिवादीगण उपस्थित न्यायालय आये। प्रतिवादी सं0–6 के प्रतिनिधी पैरोकार सरकार द्वारा जवाबदावा पेश न करने पर दिनांक 17.12.14 को उनका जवाब बन्द किया गया।

प्रतिवादी सं0–1 लगायत 5 द्वारा दिनांक 17.11.15 को जवाबदावा पेश किया कि इसी आराजी व इन्ही पक्षकारों के मध्य एक अन्य दावा उदयवीरी बनाम् बच्चू पूर्व से विचाराधीन है। अतः दोनो दावों को समेकित कर तहसील से कुरा रिपोर्ट तलब कर उभय पक्षों को 1/2–1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे।

वादी द्वारा अपने दावा के कथनों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2068–71 को पेश किया।

दिनांक 17.11.2015 को पूर्ववर्ती राजस्व दावा उदयवीरी वगै0 बनाम् बच्चूसिंह वगै0 में पश्चातवर्ती द्वारा बच्चूसिंह बनाम् उदयवीरी वगै0 को समेकित कर दिनांक 19.01.2016 को निम्न तनकी कायम की गयीः–

राजस्व दावा उदयवीरी बनाम् बच्चूसिंह

1. आया वादीगण वादग्रस्त आराजी पर मीटस एण्ड बाउन्डस के आधार पर अपना पृथक खाता व लगान कायम करा पाने के अधिकारी है ?

..... वादीगण

2. आया वादीगण वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करा पाने के अधिकारी है ?

..... वादीगण

3. आया वादीगण ने समस्त खातेदारी के रकवा पर दावा नही किया है ?

..... प्रतिवादी सं0– 1

4. आया बटवारा मुताबिक जवाबदावा की मद सं0–13 किया जावे ?

..... प्रतिवादी सं0– 1

बच्चूसिंह बनाम् उदयवीरी वगै0

5. आया वादीगण बच्चू वादग्रस्त आराजी में से अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के समभाग के कुरे कायम करा अपने 1/2 हिस्से का पृथक खाता व लगान कायम करा पाने के अधिकारी है ?

..... वादी

6. आया वादी बच्चू वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करा पाने के अधिकारी है ?

..... वादी

7. दादरसीः– ?

बहस उभय पक्षों के अभिभाषकों की सुनी गयी। उभय पक्षों के अभिभाषको ने वादग्रस्त आराजी के दावा को प्राथमिक डिक्री किये जाने की प्रार्थना की।

हमने अभिभाषक उभय पक्षों के अभिभाषकों की बहस सुन व पत्रावली का अवलोकन कर दिनांक 01.05.2017 को दावा वादीगण प्राथमिक रूप से स्वीकार कर दावा प्राथमिक डिक्री कर तहसीलदार, भरतपुर से कुरा रिपोर्ट तलब की।

तहसीलदार, भरतपुर के पत्र क्रमांक एल.आर/17/4849 दिनांक 06.11.2017 द्वारा उक्त प्रकरण में कुरा रिपोर्ट तैयार कर भिजवाये गये। पटवारी/तहसीलदार द्वारा तैयार कुरा रिपोर्ट मौका कब्जा अनुसार न्यायोचित है जो स्वीकार योग्य है। दावा वादी तहसीलदार द्वारा तैयार मौका कब्जा अनुसार कुरा रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतः आज्ञा है कि

दावे वादीगण स्वीकार किये जाते है। वादीगण उदयवीरी पत्नि स्व0 कप्तानसिंह, सत्येन्द्रसिंह, वीरेन्द्रसिंह पिसरान कप्तानसिंह नाबालिग पूजा, मधु पुत्रियान कप्तानसिह हिस्सा बराबर जाति जाट मई गूजर को ख0नं0 167/0.19, 168/0.06, 294/524/1/0.02, वातरफ पश्चिम 354/0.22, 354/517/0.01, वातरफ पश्चिम 356/0.57, 424/0.28, 445/0.37, 446/0.34, 447/0.08, 448/1/0.12, वातरफ दक्षिण 449/1/0.22 वातरफ दक्षिण 494/0.17, 496/1/0.19 वातरफ पूर्व कुल किता 14 रकवा 2.84 है0 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी सं0 1 बच्चूसिंह पुत्र कमलसिंह जाट निवासी मई गूजर को ख0नं0 165/0.19, 166/0.01, 294/524/0.01, वातरफ पूर्व 353/0.56, 354/1/0.26, वातरफ पूर्व 426/0.23, 443/0.39, 444/0.36, 448/0.13 वातरफ उत्तर 449/0.22, 496/0.50 वातरफ पश्चिम कुल किता 11 रकवा 2.86

का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। हाल ख0नं0 356 में से 0.01 है0 व ख0नं0 326 में से 0.01 है0 उभय पक्षों के रास्ते हेतु रहेगा। कुरा रिपोर्ट निर्णय का जुज रहेगा। राशि 200/– रूपये के नॉन जुडीसल पेपर पेश होने पर पर्चा अंतिम डिक्री जारी हो। निर्णय/डिक्री की एक प्रति दूसरे दावे में रखी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दा0द0 है।

(पुष्कर कुमार मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी,
भरतपुर

निर्णय आज दिनांक 22 जनवरी 2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official